

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाडा (राज.)


क्रमांक-सामान्य/2021/17

दिनांक : 25/3/21

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14 सपठित धारा 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **माह अप्रैल, 2021** के निम्नांकित राजकीय अवकाशों में भीलवाडा जिला न्यायक्षेत्र में उत्पन्न होने वाले आवश्यक आपराधिक प्रकरणों यथा रिमाण्ड, जमानत, मृत्युकालीन कथन, मृत्यु समीक्षा एवं अन्य आवश्यक कार्य यथा प्रोटोकॉल आदि के लिए कॉलम संख्या (2) में अंकित न्यायिक अधिकारीगण को उनके नाम के आगे कॉलम संख्या (4) में अंकित अवकाश की तिथि को अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहकर प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक अपने न्यायालय में बैठकर एवं नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्यदिवस को कार्यालय समय पश्चात से पश्चातवर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक मुख्यालय पर रहकर और यदि किसी कारण से नियत तिथि से पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती कार्य दिवस का अवकाश घोषित होता है, तो संबंधित अधिकारी को मुख्यालय पर रहकर उक्तानुसार ही उक्त कार्य सम्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है:-

क्र.सं. (1)	नाम अधिकारी व मोबाईल नम्बर (2)	पद नाम (3)	दिनांक (4)
1.	श्रीमती शिल्पी बंसल, 8386909409	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2, भीलवाडा	02.04.2021
2.	श्री अंकुर अग्रवाल, 9829715535	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.-1, भीलवाडा	03.04.2021
3.	श्री कुलदीप मस्तान, 7597278621	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई.एक्ट प्रकरण सं.-2, भीलवाडा	04.04.2021 एवं 14.04.2021
4.	श्रीमती नीति वर्मा, 9414756052	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई.एक्ट प्रकरण सं.-1, भीलवाडा	10.04.2021 एवं 11.04.2021
5.	श्रीमती कंवना सिंह राजावत 9915104315	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई.एक्ट प्रकरण सं.-3, भीलवाडा	13.04.2021
6.	श्रीमती निलिमा पेंवार 9950045100	न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-पूर्व, भीलवाडा	18.04.2021
7.	श्रीमती रिवा सिंह, 9950045100	न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2, भीलवाडा	21.04.2021
8.	श्रीमती गी-नाक्षी व्यास,	न्यायिक मजिस्ट्रेट (पश्चिम), भीलवाडा	25.04.2021



मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भीलवाडा

क्रमांक-सामान्य/2021/596

दिनांक : 25/3/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, भीलवाडा।
2. श्रीयुत् जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि सभी थानाधिकारियों को रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिए उपर्युक्त दिनांक में अनिवार्यतः प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 तक न्यायालय में ही पहुंचने के लिए निर्देशित करने हेतु।
3. न्यायालय
4. अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संस्था, भीलवाडा।
5. सहायक निदेशक, अभियोजन, भीलवाडा
6. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, जिला न्यायालय, भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि वह उक्त आदेश को जिला न्यायालय की website पर upload करें।
7. कार्यालय प्रति।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भीलवाडा